

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 906

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय/बांका/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/मधुबनी/सारण (छपरा)/मुंगेर/रोहतास/
भागलपुर/दरभंगा एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक- 17/2/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹ 1,00,000/-मात्र एवं रुपये ₹ 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	बेगूसराय	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-98, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राममूर्ति यादव, पिता-नारायण यादव, आश्रित-राजकुमारी देवी (पत्नी), ग्राम- कनौसी, पोस्ट-दुनही, थाना+प्रखंड-गढ़पुरा, जिला-बेगूसराय।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-102, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० जितेन्द्र ठाकुर, पिता-वैजू ठाकुर, आश्रित-रिंकू कुमारी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट- विलमिल, थाना-मुफसिल, प्रखंड-बेगूसराय सदर, जिला-बेगूसराय।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-95, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (3) मृतक-स्व० विजय कुमार, पिता-रामजपो महतो, आश्रित-स्वागत देवी (माता), ग्राम+पोस्ट-शीतलरामपुर, थाना-बखरी, प्रखंड-गढ़पुरा, जिला-बेगूसराय।

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक--101, दिनांक--17.01.2026 के आलोक में। (4) मृतक--स्व० मिथिलेश ठाकुर, पिता--प्रभु ठाकुर, आश्रित--सीता देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट--गढ़पुरा, थाना+प्रखंड--गढ़पुरा, जिला--बेगूसराय।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक--100, दिनांक--17.01.2026 के आलोक में। (5) मृतक--स्व० गोरे लाल सहनी, पिता--सुखदेव सहनी, आश्रित--भाग्यवती देवी (पत्नी), ग्राम--मनसेरपुर, पोस्ट--पहाड़पुर, थाना+प्रखंड--बलिया, जिला--बेगूसराय।
2	बांका	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक--20, दिनांक--22.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक--स्व० मथुरी लैया, पिता--मधु लैया, आश्रित--मसो मटरी देवी (पत्नी), ग्राम--जगतपुर, वार्ड सं०--26, था०+प्र०+जिला--बांका।
3	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक--75, दिनांक--12.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक--स्व० अखिलेश कुमार, आश्रित--रितु देवी (पत्नी), ग्राम--बारवा, पो०+था०+प्र०--संग्रामपुर, जिला--पूर्वी चम्पारण।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक--103, दिनांक--19.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक--स्व० विगन साह, आश्रित--विभा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट--पदुमकर, थाना+प्रखंड--पताही, जिला--पूर्वी चम्पारण।
4	मधुबनी	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक--191, दिनांक--22.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक--स्व० राम भजन सहनी, आश्रित--ममता देवी (पत्नी), ग्राम--ब्रह्मपुरी, पोस्ट--बासुकी बिहारी, थाना+प्रखंड--मधवापुर, जिला--मधुबनी।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक--186, दिनांक--21.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक--स्व० धीरेन्द्र कुमार यादव, आश्रित--मूलचंद देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट--गेहूँमा बैरिया, वार्ड नं०--4 धामी टोल, थाना--फुलपारास, जिला--मधुबनी।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक--190, दिनांक--22.01.2026 के आलोक में। (3) मृतक--स्व० आनन्द यादव, आश्रित--राम सखी देवी (पत्नी), ग्राम--धर्मवन, वार्ड सं०--13, पोस्ट--खाजेडीह, थाना--लदनिया, जिला--मधुबनी।
5	सारण, छपरा	01	2,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक--251, दिनांक--03.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक--स्व० बृजनंदन राय, आश्रित--मंजू देवी (पत्नी), ग्राम--अंजनी मठिया, पोस्ट--अंजनी, थाना+प्रखंड--परसा, जिला--सारण।

		01	2,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक-251, दिनांक-03.02.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० देव कुमार राय, आश्रित-लालमती देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-खोजौली, थाना-डेरनी, प्रखंड-दरियापुर, जिला-सारण।
6	मुंगेर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-176, दिनांक-31.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मो० इरशाद खान, पिता-मो० अली इमाम खान, आश्रित-शाहीन खातून (पत्नी), ग्राम-भतेरी, पोस्ट-गोनई, थाना+प्रखंड-असरगंज, जिला-मुंगेर।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-175, दिनांक-31.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० संतोष पंडित, पिता-भुवनेश्वर पंडित, आश्रित-वीणा कुमारी (पत्नी), ग्राम-उर्दू चौक गाजीपुर, पोस्ट-थाना-प्र०-तारापुर, जिला- मुंगेर।
7	रोहतास	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक-79, दिनांक-16.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अनिल कुमार गुप्ता उर्फ अनिल प्रसाद गुप्ता उर्फ अनील साह, पिता-ज्ञान चंद साह, आश्रित-रिंकी देवी (पत्नी), ग्राम-मुरादाबाद, वार्ड नं०-05, पोस्ट-मुरादाबाद, थाना-सासारान, जिला-रोहतास।
8	भागलपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-87, दिनांक-21.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मो० मारुफ, आश्रित-मो० खालिद (पिता), ग्राम-राजगज, पोस्ट-लक्ष्मीपुर, थाना+प्रखंड-पीरपैती, जिला-भागलपुर।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रु० 1,00,000 / -मात्र एवं रु० 2,00,000 / -मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	बेगूसराय	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-99, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० बिनोद पासवान, पिता-राम सागर पासवान, आश्रित-विन्दु देवी (पत्नी), ग्राम-तुलसीचक, पोस्ट-गम्हरिया, थाना+प्रखंड-दरखरी, जिला-बेगूसराय।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-96, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० विकास कुमार, पिता-परमेश्वर पासवान, आश्रित-कृष्णा देवी (माता), ग्राम-बरहारा, पोस्ट-अम्बा, थाना+प्रखंड-वीरपुर, जिला-बेगूसराय।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक-97, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (3) मृतक-स्व० महेन्द्र दास, पिता-गरभू दास, आश्रित-सोना देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-वनद्वार, थाना-नीमा चाँदपुरा, प्रखंड-बेगूसराय सदर, जिला-बेगूसराय।

2	दरभंगा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-213, दिनांक-21.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० केवल दास, आश्रित-ललिया देवी (पत्नी), ग्राम-माखनपुर, पोस्ट-बसहा मिर्जापुर, प्रखंड-हायाघाट, जिला-दरभंगा।
3	समस्तीपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-207, दिनांक-24.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मुकेश राम, आश्रित-सरस्वती देवी (माता), ग्राम-शेरपुर दियारा, पोस्ट-शेरपुर नपुरा, थाना-प्रखंड-विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर।
4	रोहतास	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक-01, दिनांक-01.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राकेश उर्फ राकेश कुमार, पिता-सुरेश बिड़ठा उर्फ सुरेश वैठा, आश्रित-रिंकू कुमारी (पत्नी), ग्राम-देवरिया, पोस्ट-पहलेजा, थाना-डिहरी, जिला-रोहतास।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000 / - (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000 / - (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर सं, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जॉब पडताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जॉब कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा । सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन
Signed by Manish Kumar
Date: 17-02-2026 12:06:57
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।